संख्याः 2630/33–3–2019–एल.सी./2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांकः 18 दिसम्बर, 2019

विषयः राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना में प्राथमिकता निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि अनटाइड फण्ड के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतें कराये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता तय करते हुए कार्ययोजना बनाती है। ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्लान–प्लस पर अपलोड की गई कार्ययोजना का परीक्षण कराया गया। परीक्षण में पाया गया कि कतिपय ऐसे कार्यों की उपेक्षा हो रही है, जो प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम हित में किए जाने हेतु आवश्यक होते हैं। उदाहरणार्थ ग्राम पंचायतों द्वारा हस्तान्तरित की गई पेयजल परियोजनाओं के परिचालन में पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है।

2– उक्त के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2020–21 की कार्य योजना तैयार करते समय कार्यो की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित किया जाना है:–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित पाइप लाइन पेयजल परियोजनाओं का सामान्य अनुरक्षण/परिचालन एवं बिजली बिलों का भुगतान, हैण्डपम्पों की मरम्मत।
2. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (मनरेगा से कन्वर्जेन्स करें।)/व्यक्तिगत शौचालय।
3. मनरेगा व अन्य योजनाओं के साथ युगपतिकरण से ऑपरेशन कायाकल्प, भूजल पुनर्भरण तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन।
4. कुओं एवं अन्य पेयजल स्रोतों का पुनरूद्धार एवं विकास।
5. गौवंश आश्रय स्थलों का विकास।
6. वनीकरण।

Amit Sri.

7. अन्य कार्य/कन्वर्जेंस। सभी योजनाओं में मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से कन्वर्जेंस अनिवार्य रूप से इस प्रकार किया जाय कि धनराशि का अधिकतम (**Optimum**) उपयोग किया जा सके।
8. सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, पचांयत भवन आदि एक ही स्थान पर इन्टीग्रेटेड रूप में ग्राम पंचायत सचिवालय के रूप में बनाये जाएं, अलग–अलग स्थानों पर नहीं। पंचायत भवनों में कामन सर्विस आदि नागरिक सुविधायें बनायी जाये।
9. **Open Gym**/खेल का मैदान, वेलनेस पार्क, भण्डार गोदाम आदि,

क्रमांक–1 के अतिरिक्त वार्षिक परिव्यय से 20 प्रतिशत अधिक धनराशि खर्च न किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।

भवदीय

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

Amit Sri.

7. अन्य कार्य/कन्वर्जेंस। सभी योजनाओं में मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से कन्वर्जेंस अनिवार्य रूप से इस प्रकार किया जाय कि धनराशि का अधिकतम (**Optimum**) उपयोग किया जा सके।
8. सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, पंचायत भवन आदि एक ही स्थान पर इन्टीग्रेटेड रूप में ग्राम पंचायत सचिवालय के रूप में बनाये जाएं, अलग–अलग स्थानों पर नहीं। पंचायत भवनों में कामन सर्विस आदि नागरिक सुविधायें बनायी जाये।
9. **Open Gym**/खेल का मैदान, वेलनेस पार्क, भण्डार गोदाम आदि,

कमांक–1 के अतिरिक्त वार्षिक परिव्यय से 20 प्रतिशत अधिक धनराशि खर्च न किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।

भवदीय

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

Amit Sri.